न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर (सीकर)

जगदीश बनाम गोकुलचन्द वगै.

धारा मु.नं. - 46/2022

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तालीम में जारी हुए
17-11-22	वकील वादीगण उपस्थित। साक्ष्य वादीगण में वादी जगदीश व वादी गवाह में बनवारी के लिखित मुद्रा शपथ पत्र पेश किये/ जो शामिल पत्रावली किये गये। वकील वादीगण ने फर्द दस्तावेजात के संलग्न किता-8 दस्तावेजात पेश किये। जिन पर प्रदर्श अंकित किये जाकर हस्ताक्षर किये गये। वास्ते पेश होने बहस पत्रावली दिनांक 14-12-2022 को पेश हो। दिलीप सिंह उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर	जगदीश बनवारी
26.12.2022	दिनांक 14.12.2022 को इकजाई तारीख पेशी देने पर पत्रावली आज पेश हुई। वकील वादी उपस्थित। प्रकरण में बहस वकील वादी एक पक्षीय सुनी गई। वास्ते निर्णय/आदेश पत्रावली दिनांक 28.12.2022 को पेश हों। (दिलीप सिंह) उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर(सीकर) दिलीप सिंह उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर	
28.12.2022	पत्रावली वास्ते निर्णय/आदश हेतु पेश हुई। वकील वादी उपस्थित। वकील वादी द्वारा प्रस्तुत वाद बाबत ईस्तकरार हक एंव स्थाई निषेधाज्ञा का स्वीकार किये जाने योग्य पाये जाने पर स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है। प्रकरण में विस्तृत निर्णय पृथक से मेरे द्वारा लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। निर्णय अनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। 28/12/22 (दिलीप सिंह) उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर(सीकर) दिलीप सिंह उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर	

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.01.06 12:57:36 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर जिला सीकर राजस्थान
पीठासीन अधिकारी – श्री दिलीप सिंह (RAS)

प्रकरण संख्या	जीसीएमएस	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
46/2022	2022/113	27.04.2022	28.12.2022

उनवान प्रकरण

1. जगदीश पुत्र नानूराम उम्र 65 साल
2. सुवालाल पुत्र नानूराम उम्र 60 साल
3. झाबरमल उम्र 45 साल
4. नागरमल उम्र 43 साल
5. सागरमल उम्र 40 साल

पुत्रगण बंशीधर पौत्रगण नानूराम

समस्त जाति जाट निवासी ग्राम डैरावाली–कल्याणपुरा तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर (राज0)

— वादीगण —

बनाम्

1. गोकुलचन्द पुत्र नाथूराम उम्र 70 साल
2. चन्द्रभान पुत्र हीरालाल पौत्र नाथूराम उम्र 60 साल
3. रामगोपाल पुत्र हीरालाल पौत्र नाथूराम उम्र 55 साल
4. धापू देवी पत्नी स्व0 बीरबल पुत्रवधू नाथूराम उम्र 70 साल
5. बनवारीलाल पुत्र स्व0 बीरबल पौत्र नाथूराम उम्र 48 साल
6. महेन्द्र कुमार पुत्र स्व0 बीरबल पौत्र नाथूराम उम्र 40 साल
7. सुरज्ञान पुत्री स्व0 बीरबल पौत्री नाथूराम उम्र 38 साल
8. हंसा पुत्री स्व0 बीरबल पौत्री नाथूराम उम्र 35 साल

समस्त जाति जाट निवासी ग्राम डैरावाली–कल्याणपुरा तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर

Signature Not Verified

Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.01.06 12:57:36 IST
Reason: SelfAttested

28/12/22
दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

9. भूमिधारी तहसीलदार श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0।

10 मैनेजर पंजाब नेशनल बैंक शाखा श्रीमाधोपुर ।

— प्रतिवादीगण —

उपस्थित:–

श्री फूलचन्द सामोता, एड0 वादीगण अभिभाषक।

सरकारी पैरोकार तहसीलदार श्रीमाधोपुर प्रतिवादी संख्या 9 की ओर से

दावा बाबत घोषणा, रिकार्ड दुरूस्ती एवं स्थायी निषेधाज्ञा अंतर्गत धारा 88, 188

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

–:: निर्णय ::–

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि वादीगण ने एक वाद खिलाफ प्रतिवादीगण के इस आशय से प्रस्तुत किया कि कृषि भूमि खसरा नम्बर 1626 रकबा 0.0900 है0 तन ग्राम ढाणी डेरावाली पटवार हल्का कल्याणपुरा तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0 में अवस्थित है। जिसमें 3/4 हिस्सा की खातेदारी प्रतिवादी संख्या–1 ता 8 के पिता–दादा–ससुर मृतक नाथू पुत्र नून्दा के नाम दर्ज हैं। कृर्षि भूमि खसरा नम्बर 1631 रकबा 0.4300 है0, 1632 रकबा 0.2900 है0, 1633 रकबा 0.7300 है0 तन ग्राम ढाणी डेरावाली पटवार हल्का कल्याणपुरा तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0 में अवस्थित है। जिसकी खातेदारी प्रतिवादी संख्या–1 ता 8 के नाम दर्ज हैं। उक्त वर्णित भूमि खसरा नम्बर 1626 रकबा 0.0900 है0 में प्रतिवादी संख्या– 1 ता 8 के पिता–दादा–ससुर मृतक नाथू पुत्र नून्दा के नाम दर्ज हिस्सा 3/4 के स्थान पर हिस्सा 1/8 पर वादीगण हिस्सानुसार काबिज काश्त चले आ रहे हैं एवं शेष हिस्सा 5/8 प्रतिवादी संख्या–1 ता 8 के बदस्तूर रहना, हिस्सानुसार भूमि की खातेदारी वादीगण के नाम दर्ज किया जाना न्यायोचित व आवश्यक है एवं इसी प्रकार उक्त वर्णित भूमि खसरा नम्बर 1631 रकबा 0.4300 है0, 1632 रकबा 0.2900 है0, 1633 रकबा 0.7300

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.01.06 12:57:36 IST
Reason: SelfAttested

20/12/22
दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

है0 पर वादीगण हिस्सानुसार 1/3 हिस्सा पर वादी संख्या-1 एवं 1/3 हिस्सा पर वादी संख्या-2 एवं 1/3 हिस्सा पर वादी संख्या- 3 ता 5 बहिस्सा बराबर बराबर काबिज काश्त चले आ रहे है एव उक्त भूमि की खसरा गिरदावरियां संवत 2009 से 2033 में लगातार वादीगण के पूर्वज नानू पुत्र परसा का नाम दर्ज चला आ रहा है। इसलिए वादीगण उक्तानुसार भूमि की खातेदारी अपने नाम राजस्व रिकार्ड में दुरूस्त करवाने के अधिकारी है तथा प्रतिवादीगण को वादीगण के कब्जा काश्त में मजाहमत करने का कोई अधिकार किसी किस्म का नही है। इसलिए वादीगण प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद कराने के अधिकारी है। वादीगण ने प्रतिवादीगण को उक्तानुसार भूमि की खातेदारी वादीगण के नाम दर्ज करवाने हेतु कहा तो पहले तो आश्वासन देते रहे परन्तु दिनांक 20.02.2022 को इंकार हो गये एवं वादीगण के कब्जा काश्त में मजाहमत करने की धमकी दी है। इसलिए माननीय न्यायालय में बिनाय ए दावा पैदा होकर दावा प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ है। वादीगण ने वादपत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि अवस्थित तन ग्राम ढाणी डेरावाली पटवार हल्का कल्याणपुरा तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0 में स्थित कृर्षि भूमि खसरा नम्बर 1626 रकबा 0.0900 हैक्टर में प्रतिवादी संख्या-1 ता 8 के पिता-दादा-ससुर मृतक नाथू पुत्र नून्दा के नाम दर्ज हिस्सा 3/4 के स्थान पर हिस्सा 1/8 का वादीगण को हिस्सानुसार हिस्सा 1/24 का वादी संख्या-1 को एवं हिस्सा 1/24 का वादी संख्या-2 एवं हिस्सा 1/24 का वादी संख्या-3 ता 5 को बहिस्सा बराबर-बराबर खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर एवं शेष हिस्सा 5/8 प्रतिवादी संख्या-1 ता 8 के पिता-दादा-ससुर मृतक नाथू पुत्र नून्दा के बदस्तुर रखी जावे एवं इसी प्रकार कृषि भूमि खसरा नम्बर 1631 रकबा 0.4300 है0, 1632 रकबा 0.2900 है0, 1633 रकबा 0.7300 है0 से प्रतिवादी संख्या-1 ता 8 का हजफ किया जाकर उक्त भूमि का वादीगण को हिस्सानुसार 1/3 हिस्सा का वादी संख्या-1 को एवं 1/3 हिस्सा का वादी संख्या-2 को एवं 1/3 हिस्सा का वादी संख्या-3 ता 5 को बहिस्सा बराबर-बराबर खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर उक्त भूमि की खातेदारी वादीगण के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाकर दुरूस्त किये जावे तथा प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाये जाने का निवेदन अपने वादपत्र में किया है। दावा

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.01.06 12:57:36 IST
Reason: SelfAttested

20/12/22
दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

वादीगण बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण के घोषणा, रिकार्ड दुरूस्ती एंव स्थाई निषेधाज्ञा बाबत पेश किया है।

इस पर वादीगण के वाद को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 10 की सम्मन तामील जरिये रजिस्टर्ड डाक से होने के बावजूद हाजिर अदालत नहीं आने पर प्रतिवादीगण संख्या 1 से 10 के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। साक्ष्य वादीगण में वादी जगदीश व वादी गवाह में बनवारी के लिखितशुदा शपथ पत्र पेश किये गये। प्रकरण में प्रतिवादीगण के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाने से तथा साक्ष्य वादी में वादी व गवाह के द्वारा लिखितशुदा शपथ पत्र पेश हो जाने से वकील वादीगण ने वादपत्र को स्वीकार किये जाने का निवेदन करते हुए प्रकरण में बहस सुनी जाकर अन्तिम डिक्री जारी किये जाने का निवेदन किया गया है।

हमनें वकील वादीगण की बहस एक पक्षीय सुनी। पत्रावली का अवलोकन किया तथा वादीगण अभिभाषक द्वारा की गई बहस पर मनन किया। पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों एवं राजस्व रिकॉर्ड अंतिम चौसाला आधार जमाबंदी सम्वत् 2074–2077 के अनुसार वादग्रस्त कृषि भूमि खसरा नम्बर 1626 रकबा 0.0900 है0 तन ग्राम ढाणी डेरावाली पटवार हल्का कल्याणपुरा तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0 के 3/4 हिस्सा की खातेदारी प्रतिवादी संख्या– 1 ता 8 के पिता–दादा–ससुर मृतक नाथू पुत्र नून्दा के नाम दर्ज रिकार्ड होना तथा कृषि भूमि खसरा नम्बर 1631 रकबा 0.4300 है0, 1632 रकबा 0.2900 है0, 1633 रकबा 0.7300 है0 की खातेदारी प्रतिवादी संख्या – 1 ता 8 के नाम दर्ज रिकार्ड होना प्रकट होता है। खसरा गिरदावरी सम्वत् 2009 से 2033 तक के राजस्व रिकार्ड में उक्त खसरा नम्बरान् की गिरदावरियॉ नानू पुत्र परसा के नाम दर्ज रिकार्ड गिरदावरी होना प्रकट होता है। नानू पुत्र परसा वादी संख्या 1 व 2 का पिता एवं वादी संख्या 3 का दादा है। उक्त भूमियों की खातेदारी मृत्तक नाथू पुत्र नून्दा जो प्रतिवादीगण के पिता–दादा–ससुर है के नाम गलती से दर्ज रिकार्ड होना प्रकट होता है। उक्त भूमियों की खातेदारी खसरा गिरदावरी सम्वत् 2009 से 2033 तक लगातार वादी के पिता/दादा नानू पुत्र परसा के

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.01.06 12:57:36 IST
Reason: SelfAttested

20/12/22
दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर)

नाम दर्ज रिकार्ड होने से उक्त भूमियों की खातेदारी अधिकारों की घोषणा वादीगण के हक में किया जाना न्यायोचित प्रतित होता है। उक्त वादग्रस्त भूमियों से सम्बन्धित खसरा गिरदावरीयों में उल्लेखित अंकन अनुसार उन भूमियों की खातेदारी की घोषणा पूर्व में न्यायालय द्वारा मुकदमा संख्या 254/2010 उनवानी चौथमल वगै0 बनाम बीरबल वगै0 एवं मुकदमा संख्या 285/2014 उनवानी मोहनलाल वगै0 बनाम चन्द्रभान वगै0 में पारित निर्णय दिनांक 20.10.2021 के द्वारा खातेदारी अधिकारों की घोषणा किया जाना रिकार्ड से प्रमाणित होता है। शेष भूमियों के खातेदारी अधिकारों की घोषणा संलग्न खसरा गिरदावरियों के आधार पर वाद में अंकित पक्षकारान् के नाम घोषित किये जाने हेतु वादीगण द्वारा प्रस्तुत वादपत्र स्वीकार किया जाकर वादीगण का वाद अन्तिम रूप से डिक्री किया जाना न्यायोचित प्रतित होता है।

उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर)

–:: क्रियात्मक आदेश ::–

अतः उपर्युक्त विश्लेषण से वादीगण का वाद बाबत् घोषणा, रिकार्ड दुरूस्ती एंव स्थाई निषेधाज्ञा का स्वीकार किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि तन् ग्राम ढ़ाणी डेरावाली पटवार हल्का कल्याणपुरा तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर में अवस्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 1626 रकबा 0.0900 हैक्टर में प्रतिवादी संख्या–1 ता 8 के पिता–दादा–ससुर मृतक नाथू पुत्र नून्दा के नाम दर्ज हिस्सा 3/4 के स्थान पर हिस्सा 1/8 का वादीगण को हिस्सानुसार जिसमें हिस्सा 1/24 का वादी संख्या–1 को एवं हिस्सा 1/24 का वादी संख्या–2 एवं हिस्सा 1/24 का वादी संख्या–3 ता 5 को बहिस्सा बराबर–बराबर खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा शेष हिस्सा 5/8 प्रतिवादी संख्या–1 ता 8 के पिता–दादा–ससुर मृतक नाथू पुत्र नून्दा के बदस्तुर रखी जाती है एवं इसी प्रकार कृषि भूमि खसरा नम्बर 1631 रकबा 0.1300 है0, 1632 रकबा 0.2900 है0, 1633 रकबा 0.7300 है0 से प्रतिवादी संख्या–1 ता 8 का हक खारिज किया जाता है तथा उक्त भूमि का वादीगण को हिस्सानुसार जिसमें 1/_ हिस्सा का वादी संख्या–1

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.01.06 12:57:36 IST
Reason: SelfAttested

29/12/22
दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

को एवं 1/3 हिस्सा का वादी संख्या– 2 को एवं 1/3 हिस्सा का वादी संख्या– 3 ता 5 को बहिस्सा बराबर–बराबर खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा उक्तानुसार खातेदारी वादीगण के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाकर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किये जाने की स्वीकृति दी जाती है तथा प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वे वादीगण के कब्जा काश्त में मजाहमत नहीं करें तथा ना ही दीगर से करावें। तहसीलदार श्रीमाधोपुर को आदेश दिया जाता है कि प्रकरण में राजकीय हित व राजस्व अपवंचना की जॉच कर तदनुसार राजस्व रिकार्ड में नियमानुसार दुरूस्त करने की कार्यवाही करे। तदनुसार पर्चा डिकी जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हों।

(दिलीप सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)

उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर)

यह निर्णय आज दिनांक 28.12.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(दिलीप सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.01.06 12:57:36 IST
Reason: SelfAttested